न्यायालय :— विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पन्ना, म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी—प्रदीप कुशवाह)

Registration No.74/2024
Filing No. 4890/2024
CNR No. MP3501-005406-2024
Filing Date 15-10-2024

—:: निर्णय ::—
(दिनांक 16.07.2026 को घोषित)

पुलिस थाना पवई के अपराध क्रमांक—335/2024 अंतर्गत धारा—64, 127(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(2)(v), 3(1)(w)(i), 3(1)(w)(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से उद्भूत विशेष प्रकरण।

परिवादीः—	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पवई, जिला पन्ना, (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वाराः—	श्री श्रीराम यादव, विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्तः—	राजगीर उर्फ राजू महतो पिता विश्वनाथ महतो उम्र 54 वर्ष, निवासी दौलतपुर चांदी, थाना व तहसील हाजीपुर जिला वैशाली (बिहार)
प्रतिनिधित्व द्वाराः—	श्री जे.के. राव अधिवक्ता।

प्रारूप—ड

अपराध की तारीख	दिनांक 31.08.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	दिनांक 31.08.2024
आरोप पत्र की तारीख	दिनांक 15.10.2024
आरोप के विरचना की तारीख	दिनांक 15.01.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	दिनांक 29.01.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	दिनांक 11.07.2026

निर्णय की तारीख	दिनांक 16.07.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, की तारीख	निरंक 16.07.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
01.	राजगीर उर्फ राजू महतो	01.09.2024	**18.11.2025 से 24.11.2025 तक अस्थाई जमानत पर रहा है।** इसके पूर्व एवं पश्चात् निर्णय दिनांक तक निरंतर अभिरक्षा में रहा है।	धारा 127(2), 64 भा.न्या.सं. एवं धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, 1989	दण्डादेश	पद कमांक 55 के अनुसार	01 वर्ष, 10 माह, 09 दिन

<u>प्रारूप–च</u>

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

क– अभियोजनः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
अ.सा.01	फरियादिया/अभियोक्त्री	पीड़िता
अ.सा.02	चाहना आदिवासी	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.03	डॉ. रितु प्रजापति	अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण से संबंधित साक्षी
अ.सा.04	चम्पा बाई	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा.05	डॉ. अंकित पाण्डेय	आरोपी के चिकित्सीय परीक्षण से संबंधित साक्षी
अ.सा.06	उप.निरी. मेघा मिश्रा	विवेचक

अ.सा.07	म.आर. प्रतीक्षा तिवारी	जप्ती पत्रक की साक्षी
अ.सा.08	प्र.आर. अंजनी कुमार तिवारी	जप्ती पत्रक का साक्षी
अ.सा.09	आर. राहुल पाण्डेय	सी.डी.आर. रिपोर्ट एवं कैफ रिपोर्ट से संबंधित साक्षी
अ.सा.10	निरीक्षक त्रिवेन्द्र त्रिवेदी	विवेचक साक्षी
अ.सा.11	डॉ. ए.बी. सिंह	डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित साक्षी
अ.सा.12	रीडर प्रमोद आरख	जाति प्रमाण पत्र का साक्षी

ख–प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो:–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)**

ग–न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो:–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
	निरंक	

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची</u>

क– अभियोजन:–

संख्या क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्र.पी.01/अ.सा.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02.	प्र.पी.02/अ.सा.01	अभियोक्त्री का मेडीकल कराने हेतु सहमति पत्रक
03.	प्र.पी.03/अ.सा.01	अभियोक्त्री के धारा–183 बी.एन.एस.एस. के कथन
04.	प्र.पी.04/अ.सा.01	अभियोक्त्री का जाति प्रमाण पत्र
05.	प्र.पी.05/अ.सा.01	अभियोक्त्री का पुलिस कथन
06.	प्र.पी.06/अ.सा.01	नक्शा मौका
07.	प्र.पी.07/अ.सा.02	साक्षी चाहना आदिवासी के पुलिस कथन
08.	प्र.पी.08/अ.सा.03	अभियोक्त्री की मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट

09.	प्र.पी.09 / अ.सा.03	तहरीर
10.	प्र.पी.10 / अ.सा.04	साक्षी चम्पा बाई के पुलिस कथन
11.	प्र.पी.11 / अ.सा.05	आरोपी का रक्त नमूना प्रमाणन फॉर्म
12.	प्र.पी.12 / अ.सा.05	आरोपी की सक्षमता के संबंध में मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट
13.	प्र.पी.13 / अ.सा.07	अभियोक्त्री के बैजाइनल स्वाब आदि का जप्ती पत्रक
14.	प्र.पी.14 / अ.सा.07	जाति प्रमाण पत्र का जप्ती पत्रक
15.	प्र.पी.15 / अ.सा.09	पीडिता के मोबाइल नंबर का कैफ फॉर्म
16.	प्र.पी.16 / अ.सा.09	पीडिता के मोबाइल नंबर की सी.डी.आर. रिपोर्ट
17.	प्र.पी.17 / अ.सा.09	आरोपी के मोबाइल नंबर का कैफ फॉर्म
18.	प्र.पी.18 / अ.सा.09	आरोपी के मोबाइल नंबर की सी.डी.आर. रिपोर्ट
19.	प्र.पी.19 / अ.सा.09	धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
20.	प्र.पी.20 / अ.सा.10	विवेचना नियुक्ति आदेश
21.	प्र.पी.21 / अ.सा.10	आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक
22.	प्र.पी.22 / अ.सा.10	आरोपी का ब्लड सेम्पल एवं सी.एच.सी. पवई का सील नमूना का जप्तीपत्रक
23.	प्र.पी.23 / अ.सा.10	एफ.एस.एल. ड्राफ्ट
24.	प्र.पी.24 / अ.सा.10	एफ.एस.एल. में जमा माल रसीद
25.	प्र.पी.25 / अ.सा.10	डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट

ख– प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूचीः–

संख्या क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालयीन प्रदर्श की सूचीः–

संख्या क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	**निरंक**

घ–आवश्यक वस्तुयें:–

संख्या क्रमांक	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण

	निरंक	निरंक

1. आरोपी **राजगीर उर्फ राजू महतो** पर धारा 127(2), 64 भा.न्या.सं. एवं धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 31.08.2024 को दोपहर लगभग 11.00 बजे सी.एम. राईज स्कूल के स्टोर स्थित कस्बा पवई अंतर्गत थाना पवई परिक्षेत्र में अभियोक्त्री को स्टोर के अंदर बंद करके सदोष परिरोध कारित किया एवं अभियोक्त्री से उसकी इच्छा एवं सम्मति के बिना मैथुन कर, बलात्संभोग किया एवं स्वयं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुये तथा अभियोक्त्री को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए अभियोक्त्री की सहमति के बिना लैंगिक स्पर्श किया एवं 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित किया।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 31.08.2024 को थाना पवई, जिला–पन्ना में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि पवई में सी.एम. राईज स्कूल की बिल्डिंग बनने का काम चल रहा है, जहां पिछले 3–4 महीने से वह मजदूरी का काम कर रही है, वहीं पर आरोपी ठेकेदार राजगीर महतो भी काम करता है। आज दिनांक 31.08.2024 के सुबह करीब 08.00 बजे वह काम पर गयी थी और स्कूल में पाईप ढोने का काम कर रही थी तभी दिन के करीब 11.00 बजे उसके मोबाईल नंबर 7089914659 पर आरोपी राजगीर महतो के मोबाईल नंबर 7254947120 से फोन आया और आरोपी ने उससे बोला कि स्टोर में आकर रस्सा ले जाओ, उक्त बात उसने अपने साथ काम करने वाली चाहना आदिवासी और एक कुम्हार महिला को बताई और रस्सा लेने स्टोर में चली गई, जहां पर आरोपी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर लिटा दिया और स्टोर का दरवाजा बंद करके जबरदस्ती उसके

उपर चढ़ गया एवं उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये तथा उसने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया, थोड़ी देर बाद वह दरवाजा खोलकर वहां से भागकर बाहर आ गयी, उसके थोड़ी देर बाद आरोपी का उसके मोबाईल पर दो बार फोन आया जो उसने डर के कारण नहीं उठाया था तथा वह थाना आ गई, आरोपी यह बात जानता था कि वह आदिवासी है और उसके पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं, इसलिये उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये।

3. अभियोक्त्री द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी राजगीर महतो के विरूद्ध पुलिस थाना पवई में अपराध क्रमांक 0335/2024 धारा 64, 127(2) भा.न्या.स. एवं धारा 3(2)(v), 3(1)(w)(i), 3(1)(w)(ii) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अंतर्गत **प्र.पी.01** की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी। अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण करवाये जाने हेतु मुलाहिजा फार्म तैयार कर अभियोक्त्री की सहमति के आधार पर उसका परीक्षण कराया गया तथा विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के कथन अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. का उसके बताये अनुसार लेख किया गया। इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री का संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कथन कराये गये। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी.06 बनाया गया था तथा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये। दिनांक 01.09.2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.21 बनाया गया तथा प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. आरोपी पर उपरोक्त अनुसार धाराओं के आरोप विरचित किये गये। आरोपी ने आरोपित अपराध किया जाना अस्वीकार किया। धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत किए गए आरोपी परीक्षण तथा अभियोजन साक्षीगण के दिए गए सुझावों के

अनुसार आरोपी का प्रकरण में बचाव यह है कि वह सी.एम. राईज स्कूल में मैनेजर का कार्य देखता था एवं अन्य ठेकेदार, उससे व्यवसाय की ईर्ष्या मानते थे तथा अभियोक्त्री, उससे मजदूरी की राशि हमेशा मांगती थी तथा उसके मना करने पर उसके विरोधी व्यक्तियों द्वारा अभियोक्त्री को बहकाकर एवं शासन से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने का लालच देकर उसकी झूंठी रिपोर्ट थाने में लेख करायी है। उसने अभियोक्त्री के साथ कभी कोई बलात्संग नहीं किया है, वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आरोपी द्वारा अपने बचाव के समर्थन में स्वयं का कथन न्यायालय में कराया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैंः–

1 क्या अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति की सदस्य है ?

2 क्या अभियुक्त अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है ?

3 क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.08.2024 को करीब 11.00 बजे सी.एम. राईज स्कूल के स्टोर स्थित कस्बा पवई अंतर्गत थाना पवई परिक्षेत्र में अभियोक्त्री को स्टोर के अंदर बंद करके सदोष परिरोध कारित किया ?

4 क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लगभग 32 वर्षीया अभियोक्त्री से उसकी इच्छा एवं सम्मति के बिना मैथुन करके बलात्संग किया ?

5 क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्त्री को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए अभियोक्त्री की सहमति के बिना लैंगिक स्पर्श किया ?

6 क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लगभग 32 वर्षीया अभियोक्त्री से बलात्संग का 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित किया ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष

6. अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित करने के लिये

अभियोजन साक्षीगण अभियोक्त्री (अ.सा.01), चाहना आदिवासी (अ.सा.02), डॉ. रितु प्रजापति (अ.सा.03), चम्पा बाई (अ.सा.04), डॉ. अंकित पाण्डेय (अ.सा.05), उपनिरीक्षक मेघा मिश्रा (अ.सा.06), महिला आर. प्रतीक्षा तिवारी (अ.सा.07), प्र.आर. अंजनी कुमार तिवारी (अ.सा.08), आरक्षक राहुल पाण्डेय (अ.सा.09), निरीक्षक त्रिवेन्द्र त्रिवेदी (अ.सा.10), डॉ. ए.बी. सिंह (अ.सा.11), रीडर प्रमोद आरख (अ.सा.12) को साक्ष्य में परीक्षित कराया है तथा आरोपी ने बचाव साक्षी के रूप में स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की है।

विचारणीय प्रश्न क.01 व 02

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

8. **अभियोक्त्री (अ.सा.01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वह, आरोपी राजगीर महतो को पहचानती है। वह, आदिवासी जाति की है एवं उसकी जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। आरोपी किस जाति का है, इस संबंध में उसे जानकारी नहीं है। अभियोक्त्री को पक्षविरोधी घोषित किये जाने के उपरांत पद कमांक 03 में अभियोक्त्री ने अभियोजन के इस सुझाव को मानने से इंकार कर दिया है कि मजदूरी रजिस्टर में उसका नाम एवं जाति लिखी जाती है, आगे बताया कि केवल नाम लिखा जाता है, जाति नहीं लिखी जाती है। इसी संबंध में साक्षी चाहना आदिवासी अ.सा.02 ने कथन के पद कमांक 03 में बताया कि आरोपी को अभियोक्त्री की जाति के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

9. इस प्रकार से स्वयं अभियोक्त्री इस तथ्य को स्वीकार करती है कि आरोपी किस जाति का है, इसकी जानकारी उसे नहीं है तथा वह किस जाति में आती है, इस संबंध में आरोपी को जानकारी नहीं है क्योंकि मजदूरी रजिस्टर में उसका केवल नाम लिखा जाता है, जाति का उल्लेख नहीं किया जाता है।

10. **निरीक्षक त्रिवेन्द्र त्रिवेदी (अ.सा.10)** ने अपने कथन में बताया कि उसने

प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 24.09.2024 को पीड़िता के द्वारा अपना जाति संबंधित प्रमाण पत्र उसे दिया था, जिसे उसने गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.14 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी संबंध में साक्षी **म.आर. प्रतीक्षा तिवारी (अ.सा.07)** ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया कि दिनांक 24.09.2024 को पीड़िता ने अपना जाति प्रमाण पत्र टी.आई. साहब को उसके समक्ष दिया था, जिसे उन्होंने जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.14 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. इसी संबंध में अभियोजन के द्वारा न्यायालय में **प्रमोद आरख (अ.सा.12)** का परीक्षण कराया है, जिसने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वह दिनांक 08.10. 2025 से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई जिला पन्ना म.प्र. में रीडर के पद पर पदस्थ है, जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी किये जाते हैं। वह आज अपने साथ राजस्व प्रकरण क्रमांक 1447/बी–121/जाति प्रमाण पत्र क्र. आर.एस. 426/0104/3887/2024 दिनांक 24.09.2024 की ऑनलाईन नस्ती की सत्यापित प्रति लेकर उपस्थित हुआ है।

12. उक्त साक्षी ने अपने कथन में आगे बताया है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 1447/बी–121/जाति प्रमाण पत्र क्र. आर.एस. 426/0104/3887/2024 दिनांक 24.09.2024 अभियोक्त्री का भूमिया जाति का अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्र.पी.04 का तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई, श्रुति अग्रवाल के द्वारा जारी किया गया है, जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रुति अग्रवाल के डिजिटल हस्ताक्षर हैं, जिसकी सत्यापित ऑनलाईन नस्ती की प्रति लेकर आया है, जाति प्रमाण पत्र की ऑनलाईन नस्ती में संलग्न जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रकरण में संलग्न जाति प्रमाण पत्र के समरूप है। उक्त प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड है, जिसका सत्यापन ऑनलाईन भी किया जा सकता है।

13. उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षा में केवल यह सुझाव दिया है कि उसने पुलिस के दवाब में आकर झूंठा जाति प्रमाण पत्र जारी कराया है, जिसे साक्षी ने मानने से इंकार कर दिया है। अतः उक्त साक्षी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बताये गये तथ्य भी प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहे हैं।

14. जाति प्रमाण पत्र प्र.पी.04 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोक्त्री, **भुमिया** जनजाति की सदस्य होकर, उसकी जाति संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित **अनुसूचित जनजाति** की सूची में अनुक्रमांक–5 के अंतर्गत आती है।

15. अतः अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अभियोक्त्री, भुमिया जनजाति की होकर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है लेकिन अभिलेख में इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियोक्त्री भुमिया जाति की होकर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है, इसकी जानकारी आरोपी को थी। अभिलेख में इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी जोकि अपनी महतो जाति बताता है, वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक–03 लगायत 06

16. **अभियोक्त्री (अ.सा.01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह आरोपी राजगीर महतो को जानती है। पवई में सी.एम. राईज स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, वहां पर आरोपी राजगीर ठेकेदार था तथा वह मजदूरी का कार्य करती थी। घटना उसके न्यायालय में हुये कथन के तीन–चार माह पहले दिन के 11:00 बजे की है, उस समय आरोपी ने उसे उसके मोबाईल नंबर पर कॉल करके स्टोर से रस्सा ले जाने के लिये बुलाया था। उक्त बात उसने चाहना तथा एक कुम्हार महिला को बतायी थी तथा ठेकेदार ने स्टोर में जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे लिटा दिया तथा स्टोर का दरवाजा बंद करके जबरदस्ती उसके उपर चढ़ गया था एवं आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये थे। जब उसने चिल्लाने की

कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया था, थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलकर वह वापस आयी एवं आरोपी ने उसके मोबाईल पर थोड़ी देर बाद दो बार फोन किया तो वह डर गई थी तथा डर के कारण उसने फोन नहीं उठाया था। उसने उक्त घटना के संबंध में थाने पर **प्र.पी.01** की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने नक्शा मौका **प्र.पी.06** का उसके सामने बनाया था या नहीं, यह उसे याद नहीं है।

17. अभियोक्त्री (अ.सा.01) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे आरोपी से मजदूरी के पैसे लेना थे जो आरोपी ने नहीं दिये तो उसने थाने में रिपोर्ट कर दी थी, इस आधार पर उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर, पक्ष विरोधी घोषित करने के उपरांत जो परीक्षण किया गया है, उस परीक्षण में अभियोक्त्री ने घटना के संबंध में सम्पूर्ण तथ्य बताये हैं।

18. यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी से मुख्य परीक्षण के दौरान संबंधित अभियोजन अधिकारी के द्वारा घटना के संबंध में किसी प्रकार का कोई परीक्षण न करते हुये उसे सीधे पक्ष विरोधी घोषित कर दिया है। अतः ऐसी अवस्था में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में घटना के विपरीत जाकर अपना कथन दिया है।

19. उक्त साक्षी ने अपने कथन के पद क्रमांक–05 में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01, मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष हुये कथन **प्र.पी.03** एवं पुलिस कथन **प्र.पी.05** के संबंध में यह बताया है कि उसने उक्त सभी बातें पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय, मजिस्ट्रेट को कथन देते समय तथा पुलिस को बयान देते समय बताई थीं।

20. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक–06 में यह बताया है कि ठेकेदार राजगीर महतो से उसे मजदूरी के 4,000/–रूपये मिलने थे। चूंकि उक्त साक्षी घटना के पूर्व से आरोपी जो कि ठेकेदार था, के साथ में कार्य कर रही थी। अतः ऐसी अवस्था में मजदूरी के यदि पैसे बकाया भी थे, तो इस आधार पर यह मान्य नहीं किया जा सकता कि इसी कारण से आरोपी को उक्त अपराध में फंसाया

गया है बल्कि उक्त साक्षी ने इसी पैरा में बचाव पक्ष के इस सुझाव को मानने से इंकार कर दिया है कि वह आरोपी से मजदूरी के 4,000/–रूपये लेने के लिये गई थी, आरोपी ने पैसे नहीं दिए थे, इस कारण से उसने घटना के संबंध में रिपोर्ट लेख करा दी थी।

21. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक–07 में यह भी बताया है कि घटना स्थल वाले स्टोर के सामने मजदूर कार्य कर रहे थे। चूंकि उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया कि घटना के दौरान जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उस दौरान आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया था। अतः ऐसी अवस्था में बचाव पक्ष का यह तर्क कि जिस स्थान पर घटना हुई है वहीं पास में मजदूर कार्य कर रहे थे, के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि बलात्संग जैसा अपराध घटित नहीं हो सकता है।

22. उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के द्वारा यह सुझाव दिया है कि वह आरोपी के साथ में अपनी सहमति के आधार पर शारीरिक संबंध स्थापित कर रही थी, उस दौरान मजूदरों ने उक्त कृत्य करते हुये देख लिया था तथा बदनामी न हो जाये, इस कारण से उसने आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट कर दी थी, बचाव पक्ष के उक्त सुझाव को साक्षी ने मानने से इंकार कर दिया है। इस प्रकार से आरोपी की ओर से उक्त साक्षी को अपने बचाव में जो सुझाव दिये हैं, उसके अनुसार आरोपी का प्रारंभिक बचाव यह है कि उसने तथा अभियोक्त्री ने सहमति के आधार पर शारीरिक संबंध स्थापित किये थे लेकिन शारीरिक संबंध स्थापित करते हुये अन्य लोगों ने देख लिया था एवं बदनामी की वजह से उसे इस मामले में झूंठा फंसाया है।

23. आरोपी के द्वारा अपने बचाव को प्रमाणित करने के लिये बचाव साक्षी क्रमांक 01 के रूप में स्वयं का कथन न्यायालय में कराया है तथा आरोपी ने अपने कथन में बताया कि उसके विरूद्ध उक्त प्रकरण असत्य चल रहा है, उसने अभियोक्त्री के साथ कोई अपराध नहीं किया है, वह बाहर का व्यक्ति है एवं स्थानीय ठेकेदार उससे बुराई

मानते थे, इस कारण से उन्होंने फरियादी से मिलकर उसके विरूद्ध झूंठा मामला बनवा दिया है। इस प्रकार अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण के समय बचाव पक्ष के द्वारा जो सुझाव दिया है, वह सहमति के संबंध में दिया है जब कि आरोपी के द्वारा न्यायालय में जो बचाव साक्षी के रूप में कथन दिया है, उसमें यह बताया है कि स्थानीय ठेकेदार के कहने पर बुराई एवं रंजिश के कारण उसे इस मामले में झूंठा फसाया है। इस प्रकार से आरोपी ने अलग–अलग अवस्थाओं पर अलग–अलग बचाव लिया है।

24. अभियोक्त्री से प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक–10 में यह पूछे जाने पर कि आपने मुख्य परीक्षण के दौरान घटना के संबंध में तथ्यों को स्वीकार नहीं किया है लेकिन उन्हें शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पूछे जाने पर आपने घटना के संबंध में तथ्यों को स्वीकार किया है, इसमें से कौन सी बात सही है तो इस पर साक्षी ने व्यक्त किया कि मुख्य परीक्षण के दौरान उसे घटना के संबंध में याद नहीं था। इस प्रकार से घ ाटना के संबंध में जब अभियोक्त्री से स्पष्टतः पूछे जाने पर उसने घटना के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यों को बताया है।

25. इस प्रकार अभियोक्त्री (अ.सा.01) के सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसके आधार पर यह स्थापित होता हो, कि अभियोक्त्री तथा आरोपी के मध्य सहमति के आधार पर शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे जबकि अभियोक्त्री ने स्पष्टतः यह बताया है कि आरोपी ने उसके साथ बल पूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित किये थे, जब उसने विरोध किया तथा चिलाई तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया था। अतः अभियोक्त्री (अ.सा.01) का कथन घटना के संबंध में पूर्णतः विश्वसनीय है।

26. **चाहना आदिवासी (अ.सा.02)** का कथन अभियोजन के द्वारा घटना के संबंध में कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह आरोपी तथा अभियोक्त्री को जानती है। घटना को समय हो चुका है, उस समय सी.एम. राईज स्कूल की बिल्डिंग का पवई में निर्माण हो रहा था, उसमें आरोपी ठेकेदार था

जिसके यहां पर वह मजदूरी का कार्य करती थी। शेष तथ्यों के संबंध में उक्त साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नही किया है एवं उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। साक्षी ने अपने कथन के पद क्रमांक–03 में यह बताया है कि वह ठेकेदार राजू उर्फ राजगीर के अधीनस्थ मजदूरी का कार्य करती थी एवं इसी पैरा में इस सुझाव को मानने से इंकार कर दिया है कि वह ठेकेदार को बचाने के लिये उसके अधीनस्थ काम करने के कारण आज असत्य कथन कर रही है। इस प्रकार से उक्त साक्षी जोकि आरोपी के अधीनस्थ मजदूरी का कार्य करती थी, के द्वारा आरोपी के विरूद्व कथन न करने का कारण अभिलेख पर मौजूद है।

27. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक–04 में बचाव पक्ष के द्वारा पूछे जाने पर यह बताया कि उसने आरोपी तथा पीड़िता को संबंध बनाते हुए देख लिया था तब उसने कहा था कि तुम बाहरी आदमी के साथ संबंध क्यों बनाती हो, तेरे घर वालों को बता दूंगी, इस पर अभियोक्त्री के द्वारा कहा गया था कि घर पर नहीं बताना, वह आरोपी से कोई संबंध नहीं रखेगी। उसने दोपहर के लगभग 11:00–12:00 बजे आरोपी एवं पीड़िता को गलत संबंध बनाते हुये देख लिया था। उसके दूसरे दिन अभियोक्त्री ने बताया था कि उसने, आरोपी के विरूद्व रिपोर्ट कर दी है। इस प्रकार से उक्त साक्षी पर बचाव पक्ष के द्वारा आरोपी से सहमति के आधार पर संबंध बनाने के संबंध में परीक्षण किया है लेकिन स्वयं आरोपी अपने कथन में यह नहीं बताता है कि उसने पीड़िता के साथ सहमति के आधार पर संबंध बनाये थे बल्कि यह बताता है कि रंजिश के कारण उसे इस मामले में झूंठा फसाया गया है। अतः उक्त साक्षी जो कि पक्ष विरोधी घोषित किया गया है, उसके कथन से यह स्थिति अभिलेख पर आती है कि घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उसने अभियोक्त्री तथा आरोपी को शारीरिक संबंध बनाते हुये देखा था जिस संबंध में अभियोक्त्री ने बताया है कि आरोपी ने उसके साथ बल पूर्वक संबंध बनाये थे।

28. अभियोजन के द्वारा न्यायालय में **चम्पा बाई (अ.सा.04)** का कथन कराया है, जिसने भी अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह अभियोक्त्री को जानती है तथा घटना के समय वह सी.एम. राईज स्कूल पवई में स्कूल बनाने के काम में मजदूरी का कार्य कर रही थी एवं दिनांक 31.08.2024 को वह तथा अभियोक्त्री एवं चाहना आदिवासी तीनों लोग पेड़ से सरिया उठाकर बिल्डिंग की तीसरी–चौथी मंजिल पर रखे रहे थे। इस प्रकार से आंशिक रूप से उक्त कथन के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री मजदूरी का कार्य घटना स्थल वाली जगह पर कर रही थी।

29. अभियोजन के द्वारा प्रकरण की विवेचना के संबंध में **उपनिरीक्षक श्रीमती मेघा मिश्रा (अ.सा.06)** का परीक्षण कराया है, जिन्होंने अपने कथन में बताया कि दिनांक 31.08.2024 को वह पुलिस थाना शाहनगर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी एवं उक्त दिनांक को पुलिस थाना पवई में कोई भी महिला पुलिस अधिकारी पदस्थ न होने के कारण एवं वर्तमान अपराध महिला से संबंधित होने के कारण वह पुलिस अधीक्षक पन्ना के मौखिक आदेश पर पुलिस थाना पवई में कार्यवाही हेतु पहुंची थी एवं पुलिस थाना पवई में उसे अभियोक्त्री उपस्थित मिली थी एवं उसने अभियोक्त्री के मौखिक बताने के आधार पर घटना के संबंध में प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी। साक्षी ने अपने कथन में आगे बताया कि रिपोर्ट लेख करने के पश्चात् उसने अभियोक्त्री के आंतरिक जननांग का परीक्षण करने हेतु उसकी सहमति प्राप्त की थी एवं इस संबंध में सहमति पंचनामा **प्र.पी.02** का तैयार किया था। तत्पश्चात् मुलाहिजा फॉर्म **प्र.पी.09** का तैयार कर अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय पन्ना भिजवाया गया था तथा उसने अभियोक्त्री के कथन उसके बताये अनुसार लेख किये थे।

30. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक–05 में यह बताया है कि अभियोक्त्री ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 31.08.2024 की दोपहर के 11:00 बजे की

बतायी है तथा अभियोक्त्री रात्रि 10:58 बजे थाने पर उपस्थित हुई थी, तो इस संबंध में साक्षी ने व्यक्त किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियोक्त्री थाना पवई में कितने बजे उपस्थित हुई थी लेकिन जब वह थाने पर पहुंची थी तो उसे अभियोक्त्री थाने पर मिली थी। इसी पैरा में साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराने में 10 घंटे का विलंब है, तो इस संबंध में साक्षी ने व्यक्त किया कि सूचना मिलने पर वह उक्त सूचना के आधार पर थाना पवई पहुंची थी, इस कारण से उक्त कार्यवाही में समय लग गया था। पद क्रमांक–06 में यह पूछे जाने पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराने में विलंब हुआ है तो इस संबंध में साक्षी ने व्यक्त किया कि ऐसा कोई विलंब रिपोर्ट लेख कराने में नहीं हुआ है।

31. यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान अपराध महिला से संबंधित होने के कारण एवं पुलिस थाना पवई में कोई महिला पुलिस अधिकारी पदस्थ न होने के कारण पुलिस अधीक्षक पन्ना को कार्यवाही हेतु इस संबंध में सूचित किया गया, जिस पर से पुलिस अधीक्षक के आदेश के आधार पर साक्षी उपनिरीक्षक श्रीमती मेघा मिश्रा (अ.सा. 06) पुलिस थाना शाहनगर, पुलिस थाना पवई में कार्यवाही हेतु उपस्थित हुई हैं। अत : ऐसी अवस्था में अभियोक्त्री के उपस्थित होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचित करना एवं पुलिस अधीक्षक से अन्य थाने की पुलिस अधिकारी को आदेशित किये जाने पर उसके थाना पवई में उपस्थित होने में समय लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अतः ऐसी अवस्था में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लेख करायी गयी है अथवा रिपोर्ट लेख करने में जो विलंब किया गया है, वह अभियोक्त्री की वजह से है।

32. प्रकरण के अभिलेख में अन्य जो साक्ष्य मौजूद है, वह अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण तथा डी.एन.ए. परीक्षण की कार्यवाही से संबंधित साक्ष्य है। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा **डॉ. रितु प्रजापति (अ.सा.03)** का परीक्षण कराया है, जिन्होंने दिनांक 01.09.2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ़ में अभियोक्त्री

का चिकित्सीय परीक्षण किया था, परीक्षण के समय अभियोक्त्री पूर्णतः होश हवाश में थी तथा घटना के विवरण पूछे जाने पर उसने बताया था कि दिनांक 31.08.2024 को सी.एम. राईज स्कूल की बिल्डिंग में वह मजदूरी का कार्य सुबह 08:00 बजे से कर रही थी, दोपहर करीब 11:00 बजे ठेकेदार ने उसे फोन किया तथा कहा कि स्टोर से रस्सा ले जाओ तो वह रस्सा लेने गई तब ठेकेदार ने स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया तथा उसे पिलाई में लिटाकर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद वह चला गया था। उसके बाद ठेकेदार ने उसे दो बार फोन पर कॉल किया लेकिन उसने डर के कारण कॉल नहीं उठाया था। अभियोक्त्री ने उक्त घटना राजगीर महतो उम्र 50 वर्ष जो कि ठेकेदार था, के द्वारा कारित करना बताया था।

33. अभियोक्त्री से पूछने पर उसने यह भी बताया था कि घटना के समय उसने पहने हुये कपड़ों को नहीं बदला है तथा अपने शरीर को साफ नहीं किया है केवल शौच क्रिया की है। अभियोक्त्री के परीक्षण के दौरान उसके शरीर पर किसी प्रकार की कोई बाह्य चोट नहीं पाई थी एवं आंतरिक जननांग में भी कोई चोट अथवा हिंसा के निशान नहीं पाये थे। अभियोक्त्री के परीक्षण के दौरान उसने दो बैजाइनल स्लाइड, दो बैजाइनल स्वाब, दो बलबल स्वाब तैयार की थी तथा अभियोक्त्री का पहना हुआ एक हरे रंग का पेटीकोट उससे प्राप्त कर एवं समस्त प्रदर्शों को सीलबंद कर अस्पताल के सील नमूना सहित संबंधित महिला आरक्षक को सुपुर्द कर दिया था।

34. उक्त साक्षी ने अपने कथन में आगे बताया कि अभियोक्त्री के साथ तात्कालिक संभोग के संबंध में निश्चित अभिमत दिया जाना संभव नहीं था, उक्त अभिमत एफ.एस.एल. रिपोर्ट के पश्चात् ही दिया जाना संभव था। इस संबंध में उसके द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 की तैयार की है। साक्षी ने अपने कथन में आगे बताया कि पुलिस के द्वारा परीक्षण हेतु जो तहरीर भेजी थी, उस तहरीर पर उसने तैयार की गई बैजाइनल स्लाइड तथा उसकी स्थिति के संबंध में लेख किया था तथा अपना

अभिमत भी लेख किया था जो प्र.पी.09 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह पूछे जाने पर कि अभियोक्त्री ने घटना के विवरण में आरोपी का नाम नहीं बताया था, जिसे साक्षी ने मानने से इंकार कर दिया है। बल्कि यह बताया है कि घटना के विवरण पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने आरोपी का नाम उसे बताया था। इस संबंध में परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.08 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त परीक्षण प्रतिवेदन में कॉलम कमांक 15(v) में आरोपी के विवरण के संबंध में लेख है, जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि घटना कारित करने वाले व्यक्ति का नाम राजगीर महतो उम्र 50 वर्ष, व्यवसाय–ठेकेदार है।

35. विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया तथा डी.एन.ए. परीक्षण हेतु रक्त नमूना भी एकत्रित किया गया था। इस संबंध में **निरीक्षक त्रिवेन्द्र त्रिवेदी (अ.सा.10)** ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 31.08.2024 को वह पुलिस थाना पवई में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था एवं वर्तमान अपराध की विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक पन्ना के आदेश **प्र.पी.20** के द्वारा उसे अधिकृत किया गया था, जिसके पालन में उसने दिनांक 01.09.2024 को विवेचना के दौरान घटनास्थल पर पहुंचकर अभियोक्त्री की निशादेही से एवं साक्षीगण के समक्ष नक्शा मौका प्र.पी.06 का तैयार किया था एवं उक्त दिनांक को ही साक्षी चाहना आदिवासी, चम्पा बाई प्रजापति तथा रामसजीवन सिंगरौल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे एवं उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी राजगीर उर्फ राजू महतो को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा **प्र.पी.21** का तैयार किया था। इस प्रकार से घटना के अगले दिन ही दिनांक 01.09.2024 को आरोपी को वर्तमान अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है।

36. उक्त साक्षी ने अपने कथन में आगे बताया है कि विवेचना के दौरान दिनांक 02.09.2024 को उसने आरोपी राजगीर उर्फ राजू महतो का चिकित्सीय परीक्षण करवाये जाने हेतु मुलाहिजा फॉर्म प्र.पी.12 का तैयार किया था, जिस पर उसके

हस्ताक्षर हैं एवं उक्त दिनांक को ही आरोपी राजगीर महतो का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु रक्त नमूना प्रमाणन फॉर्म तैयार कर डॉक्टर के द्वारा उसके समक्ष आरोपी का रक्त लिया था, प्रमाणन फॉर्म **प्र.पी.11** पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं उक्त दिनांक को ही डॉ. अंकित पाण्डेय के द्वारा पेश करने पर आरोपी का 04 एम.एल. रक्त नमूना जो कि ई.डी.टी.ए. बॉइल में था तथा सी.एच.सी. पवई की सील नमूना मुद्रा जिससे ई.डी.टी.ए. बॉइल को सीलबंद किया गया था, उसे गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा **प्र.पी.22** का तैयार किया था।

37. उक्त कार्यवाही से संबंधित चिकित्सक साक्षी **डॉ. अंकित पाण्डेय (अ.सा.05)** ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 02.09.2024 को वह सी.एच.सी. पवई में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था एवं उक्त दिनांक को पुलिस थाना पवई के प्रधान आरक्षक 223 सुरेन्द्र कुमार के द्वारा आरोपी राजगीर महतो को उसके पुरूषत्व के परीक्षण हेतु एवं रक्त नमूना लिये जाने हेतु लाया गया था। उसने आरोपी के पहचान चिन्ह के रूप में उसके पेट पर एक तिल का निशान पाया था एवं परीक्षण के समय उसकी स्थिति सामान्य पायी थी तथा उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूर्णतः विकसित थे एवं उसके पेनिस पर क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स मौजूद था। उसने आरोपी के परीक्षण पर उसे संभोग करने के लिये सक्षम पाया था।

38. उक्त साक्षी ने अपने कथन में आगे बताया कि उसने आरोपी का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु रक्त नमूना लिये जाने के लिये उसकी सहमति प्राप्त की थी, इस संबंध में रक्त नमूना प्रमाणन फॉर्म प्र.पी.11 पर आरोपी के हस्ताक्षर एवं निशानी अंगूठा लिये थे, जिसके नीचे उसने सत्यापन बाबत् अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा लगाई थी, प्र.पी.11 पर ए से ए के मध्य आरोपी के तथा बी से बी के मध्य प्रथम पृष्ठ में तीन स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा प्र.पी.11 के सी से सी के मध्य आरोपी का छायाचित्र चस्पा है, जिसे उसने सत्यापित किया था। साक्षी ने अपने कथन में आगे बताया कि आरोपी का उसने 04 एम.एल. रक्त ई.डी.टी.ए. बॉइल में परीक्षण हेतु लिया था तथा ई.डी.टी.ए.

बॉइल को सीलबंद किया था। ई.डी.टी.ए. बॉइल को सीलबंद करने में जिस मुद्रा का उपयोग किया गया था, जिसकी छाप प्र.पी.11 पर डी से डी के मध्य लगाई थी तथा ई से ई के मध्य उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी का उसकी सक्षमता के संबंध में किये गये परीक्षण तथा लिये गये रक्त नमूना के संबंध में उसके द्वारा प्र.पी.12 की रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोर्ट को उसने टाईपशुदा भी तैयार किया था जो प्र.पी.12 का ही भाग है। ई.डी.टी.ए. बॉइल को सीलबंद अवस्था में मय सील नमूना के संबंधित पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया था।

39. इसी संबंध में महिला आरक्षक **प्रतीक्षा तिवारी (अ.सा.07)** जो कि अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लेकर गई थी, ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 01.09.2024 को वह पुलिस थाना पवई में महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी एवं उक्त दिनांक को वह पीड़िता को परीक्षण हेतु सी.एच.सी. अजयगढ़ लेकर गई थी, जहां पर चिकित्सक ने पीड़िता का परीक्षण किया था एवं परीक्षण उपरांत उसे सीलबंद पैकेट जिसमें एक पैकेट में पीड़िता की दो बैजाइनल स्वाब, दूसरे पैकेट में दो बलबल स्वाब, तीसरे पैकेट में बैजाइनल स्लाइड तथा चौथे सीलबंद पैकेट में पीड़िता का पेटीकोट एवं पांचवे पैकेट में सी.एच.सी. अजयगढ़ का सील नमूना था, उसे प्रदाय किया था, जिसे उसने लाकर पुलिस थाना पवई में प्रधान आरक्षक अंजनी कुमार तिवारी को गवाहों के समक्ष दिया था, जिसे उन्होंने जप्त कर जप्ती पंचनामा **प्र.पी.13** का बनाया था।

40. इसी संबंध में प्रधान आरक्षक **अंजनी कुमार तिवारी (अ.सा.08)** ने भी अपने कथन में यही तथ्य बताये हैं कि दिनांक 01.09.2024 को महिला आरक्षक प्रतीक्षा तिवारी ने सी.एच.सी. अजयगढ़ से लाकर सीलबंद पैकेट जिसमें एक पैकेट में दो बैजाइनल स्वाब, एक पैकेट में दो बलबल स्वाब, एक पैकेट में बैजाइनल स्लाइड तथा एक पैकेट में पीड़िता का पेटीकोट तथा सी.एच.सी. अजयगढ़ का सील नमूना था, उसे पेश किया था, जिसे उसने जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.13 का बनाया था,

जिस पर बी से बी के मध्य उसके हस्ताक्षर हैं।

41. उपरोक्त समस्त प्राप्त प्रदर्शों को डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजा गया था, इस संबंध में **निरीक्षक त्रिवेन्द्र त्रिवेदी (अ.सा.10)** ने अपने कथन के पद क्रमांक–04 में यह बताया है कि प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्श सीलबंद पैकेट जिसमें पीड़िता के दो बैजाइनल स्वाब, दो बैजाइनल स्लाइड, दो बलबल स्वाब, पेटीकोट तथा आरोपी का 04 एम.एल. रक्त नमूना एवं सी.एच.सी. अजयगढ़ तथा सी.एच.सी. पवई के सील नमूना पुलिस अधीक्षक पन्ना के ज्ञापन **प्र.पी.23** के माध्यम से परीक्षण हेतु आरक्षक राजललन सिंह के माध्यम से एफ.एस.एल. में भेजे गये थे एवं उक्त माल जमा करने की रसीद **प्र.पी.24** है एवं इस संबंध में एफ.एस.एल. सागर से प्राप्त डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट **प्र.पी.25** है। प्र.पी.25 की रिपोर्ट धनात्मक प्राप्त हुई है।

42. प्र.पी.25 की रिपोर्ट की रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अभियोक्त्री के स्रोत प्रदर्श ए–बैजाइनल स्वाब, प्रदर्श बी–बलबल स्वाब, प्रदर्श सी–बैजाइनल स्लाइड तथा प्रदर्श डी– पेटीकोट से प्राप्त Y-STR DNA प्रोफाइल आरोपी राजगीर उर्फ राजू महतो के स्रोत रक्त नमूना प्रदर्श ई से प्राप्त Y-STR DNA प्रोफाइल एक समान है। उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अभियोक्त्री के स्रोत बैजाइनल स्वाब प्रदर्श–ए एवं प्रदर्श–डी पेटीकोट से मिश्रित ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइल में आरोपी राजगीर उर्फ राजू महतो के स्रोत प्रदर्श–ई से प्राप्त ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइल भी उपस्थित है। चूंकि अभियोक्त्री एक विवाहित महिला है, अतः ऐसी अवस्था में उसके स्रोत में मिश्रित ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइल प्राप्त होना स्वाभाविक है। अतः अभियोजन के मामले की पुष्टि डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भी होती है।

43. अभियोजन के द्वारा डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.25 को प्रमाणित करने के लिये न्यायालय में वैज्ञानिक अधिकारी **डॉ. ए.बी. सिंह (अ.सा.11)** का परीक्षण कराया है, जिन्होंने अपने कथन में बताया है कि वह वर्ष 2015 से राज्य न्यायालयिक

विज्ञान प्रयोगशाला सागर में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पदस्थ है एवं पुलिस अधीक्षक पन्ना का पत्र कमांक कमांक पु.अ./पन्ना/एफएसएल/273/2024 दिनांक 02.09.2024 का पुलिस थाना पवई के अपराध कमांक 355/2024 में जप्तशुदा प्रदर्शों का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ था तथा उपरोक्त पत्र के साथ में अभियोक्त्री के प्रदर्श ए–बैजाइनल स्वाब, प्रदर्श बी–बलबल स्वाब, प्रदर्श सी–बैजाइनल स्लाइड, प्रदर्श डी–पेटीकोट तथा प्रदर्श ई–आरोपी राजगीर उर्फ राजू महतो का रक्त नमूना मय सील नमूना के आरक्षक 319 राजललन सिंह के द्वारा लाया गया था तथा उपरोक्त प्रदर्श उसे सीलबंद अवस्था में प्राप्त हुये थे, सील के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड नहीं थी। उपरोक्त प्रदर्शों ए, बी, सी, डी तथा आरोपी के रक्त नमूना से प्राप्त पुरूष वाई कोमोसोम एस.टी.आर. डी.एन.ए. प्रोफाइल जो प्राप्त हुई थी, उसका उल्लेख एवं विस्तृत विवरण डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.25 के पृष्ठ कमांक 02 में दिया है।

44. उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया कि उपरोक्त प्रदर्शों से प्राप्त ऑटोसोमल एस.टी.आर. डी.एन.ए. प्रोफाइल प्राप्त हुयी थी जिसका विवरण उसके द्वारा डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.25 के पृष्ठ कमांक 03 में किया है। उसके द्वारा परीक्षण के आधार पर जो वाई कोमोसोम एस.टी.आर. डी.एन.ए. प्रोफाइल तथा ऑटोसोमल एस.टी.आर. डी.एन.ए. प्रोफाइल प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर उसका यह अभिमत है कि पीडिता के स्त्रोत प्रदर्श ए, बी, सी, डी से प्राप्त Y-STR DNA प्रोफाइल आरोपी राजगीर के स्त्रोत प्रदर्श ई रक्त नमूना से प्राप्त Y-STR DNA प्रोफाइल के समान थी। अभियोक्त्री के स्रोत प्रदर्श ए एवं डी से प्राप्त पुरूष मिश्रित Autosomal STR DNA प्रोफाइल में आरोपी के स्त्रोत प्रदर्श ई से प्राप्त Autosomal STR DNA प्रोफाइल भी मौजूद थी। उक्त संबंध में उसके द्वारा डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.25 की तैयार की गयी थी जो तीन पृष्ठों में है जिस पर ए से ए के मध्य उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उपरोक्त परीक्षण रिपोर्ट

मय प्रदर्शों के पुलिस अधीक्षक पन्ना को भेज दी थी।

45. उक्त साक्षी ने स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा पूछे जाने पर प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 05 में यह बताया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 329 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अंतर्गत सहायक रासायनिक परीक्षक को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थिति से छूट प्रदाय की गई है। सरकारी वैज्ञानिक होने के संबंध में उसे वल्लभ भवन भोपाल से नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उक्त नोटिफिकेशन वर्तमान में उसके पास नहीं है लेकिन उक्त नोटिफिकेशन दिनांक 08.06.2015 को हुआ था तथा इसी पैरा में यह बताया कि उसके पास उपरोक्त नोटिफिकेशन मौजूद है लेकिन उसे आज वह अपने साथ लेकर नहीं आया है। साक्षी को इसी पैरा में यह सुझाव दिये जाने पर कि उसे डी.एन.ए. परीक्षण के संबंध में अभिमत देने का अधिकार नहीं है, जिसे साक्षी ने मानने से इंकार कर दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथन के आधार पर डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.25 भी प्रमाणित होती है एवं उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि जिसके आधार पर डी.एन.ए. परीक्षण की कार्यवाही में किसी प्रकार का संदेह पैदा होता हो।

46. आरोपी की ओर से न्यायदृष्टांत **राहुल बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली प्रशासन 2023 भाग एक एससीसी क्रिमनल पेज 305** प्रस्तुत किया है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में उसके साक्ष्विक महत्व के संबंध में दिशा निर्देश दिये हैं तथा यह बताया है कि उसका साक्ष्विक महत्व प्रत्येक केस की परिस्थिति के आधार पर निर्भर करेगा तथा डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट एक ओपिनियन एवीडेंस है। वर्तमान प्रकरण में डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट तथा डी.एन.ए. परीक्षण हेतु संकलित की गयी साक्ष्य एवं प्रदर्श में कोई भी अनियमितता अभिलेख पर नहीं आयी है जिसके आधार पर उक्त परीक्षण रिपोर्ट पर अविश्वास किया जा सके।

47. अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अभियोक्त्री को घटना के संबंध में कॉल किया था। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री तथा आरोपी के मोबाईल नंबर की कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म तथा कॉल डिटेल रिपोर्ट प्राप्त की गई है एवं इस संबंध में अभियोजन के द्वारा अपनी साक्ष्य में **आरक्षक राहुल पाण्डेय (अ.सा.09)** का परीक्षण कराया है, जिसने अपने कथन में बताया कि वह वर्ष 2022 से वर्तमान तक विधि संगत अधिकृत कर्मचारी होकर विभिन्न मामलों के संबंध में डेटा/जानकारी ई–मेल के माध्यम से संकलित करने हेतु प्राधिकृत है। थाना पवई के अपराध क्रमांक 335/24 में थाना पवई से प्राप्त पत्र क्रमांक थाना/1729/2024 दिनांक 04.09.2024 में पुलिस अधीक्षक/अन्य सक्षम अधिकारी के माध्यम से मोबाईल नंबर 7089914659 एवं 7254947120 की सी.डी.आर. एवं कैफ/एस.डी.आर. प्रदाय करने के संबंध में आदेशित किया गया था तथा उसके द्वारा उक्त आदेश के पालन में उक्त मोबाईल नंबर के कैफ, सी.डी.आर. को प्राप्त करने हेतु संबंधित मोबाईल कंपनी जियो एवं एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी को उपरोक्त मोबाईल नंबर से संबंधित सी.डी.आर. तथा कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक साइबर सेल के आधिकारिक ई–मेल आई.डी. tc.sp-pna@mppolice.gov.in से जियो एवं एयरटेल कंपनी की ई–मेल आई.डी. पर मेल भेजकर उक्त जानकारी चाही गई थी, जिसके पालन में जियो एवं एयरटेल कंपनी द्वारा मोबाईल नंबर 7089914659 एवं 7254947120 की सी.डी.आर. एवं कैफ की जानकारी मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई थी।

48. उक्त साक्षी ने अपने कथन में आगे बताया कि कंपनी से प्राप्त मेल को उसने पुलिस अधीक्षक साइबर सेल पन्ना के शासकीय कम्प्यूटर जो कि विप्रो कंपनी का था जिससे शासकीय प्रिंटर कियोसेरा टास्क अल्फा 2201 का संयोजित था, के सहयोग से उपरोक्त मोबाईल नंबर की सी.डी.आर. तथा कैफ के प्रिंट आउट प्राप्त किये थे। उपरोक्त कम्प्यूटर एवं प्रिंटर उसके आधिपत्य का होकर

उसके उपयोग का था जो कि चालू हालत में था, जिसमें किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी जिसके आधार पर कंपनी से प्राप्त डेटा तथा निकाले गये प्रिंट में कोई परिवर्तन हो सके। उसके द्वारा मोबाईल नंबर 7089914659 का कैफ एक पेज जो कि अभियोक्त्री के नाम पर पाया गया एवं इसी नंबर की सी.डी. आर. तीन पेज में प्रिंट कर संबंधित विवेचक को दी गई, जिसका कैफ फार्म प्रदर्श पी–15 है एवं उक्त नंबर की सी.डी.आर. कुल 03 पृष्ठों में प्र.पी.16 है तथा मोबाईल नंबर 7254947120 का कैफ आरोपी राजगीर महतो के नाम पर पाया गया, उक्त कैफ फार्म प्र.पी.17 है एवं उक्त नंबर की सी.डी.आर. कुल 03 पृष्ठों में प्र.पी.18 है। कैफ फार्म एवं सी.डी.आर. का प्रिंट निकालने के संबंध में उसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम के धारा 63(4)(ग) के अंतर्गत दिया गया प्रमाण पत्र प्र.पी.19 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

49. प्र.पी.15 की कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार सिम नंबर 7089914659 जियो कम्पनी के द्वारा प्रकरण की अभियोक्त्री के नाम से जारी की गई है तथा प्र.पी.17 की कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार सिम नंबर 7254947120 आरोपी राजगीर महतो के नाम से जारी की गई है। आरोपी राजगीर महतो ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त मोबाईल नंबर 7254947120 उसी का है। आरोपी से प्रतिपरीक्षण में यह पूछे जाने पर कि घटना दिनांक 31.08.2024 को सुबह 11:00 बजे तुमने अपने मोबाईल नंबर से पीड़िता के उक्त मोबाईल नंबर 7089914659 पर कॉल लगाया था तो इसे आरोपी ने मानने से इंकार कर दिया है। सी.डी.आर. रिपोर्ट प्र.पी.16 जो कि अभियोक्त्री के मोबाईल नंबर से संबंधित है तथा सी.डी.आर. रिपोर्ट प्र.पी.18 जो कि आरोपी के उक्त मोबाईल नंबर से संबंधित है, के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी ने दिनांक 31.08.2024 को दोपहर 11:02:48 पर अभियोक्त्री के मोबाईल नंबर 7089914659 पर कॉल लगाकर उससे 23 सेकंड बात की थी एवं वर्तमान प्रकरण की

घटना का समय भी 11:00 बजे बताया गया है। उक्त सी.डी.आर. रिपोर्ट तथा कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर भी अभियोजन के मामले की पुष्टि होती है कि तत्कालीन समय पर आरोपी ने अभियोक्त्री को कॉल भी किया था तथा उसे बात भी हुई थी।

50. आरोपी की ओर से न्यायदृष्टांत **हरि एवं अन्य बनाम म.प्र. राज्य 2009 भाग–दो क्राइम्स पेज 195** प्रस्तुत किया है, उपरोक्त न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी के संबंध में यह विनिश्चय किया है कि यदि उसका कथन उसके मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण आपस में विरोधाभाषी हैं तो ऐंसे एकमात्र साक्षी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में ऐंसी कोई परिस्थितियां मौजूद नहीं है क्योंकि अभियोक्त्री का मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण आपस में विरोधाभाषी नहीं है बल्कि मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी के द्वारा बलात्संग की घटना के संबंध में परीक्षण न करते हुए सीधे पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे हैं, वर्तमान प्रकरण केवल अभियोक्त्री के कथन पर आधारित नहीं है बल्कि अभियोक्त्री के कथन की पुष्टि, अन्य साक्षीगण, चिकित्सीय साक्ष्य तथा डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट से होती है।

51. अतः उक्त साक्ष्य की विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि आरोपी ने दिनांक 31.08.2024 को दोपहर लगभग 11.00 बजे सी.एम. राईज स्कूल के स्टोर स्थित कस्बा पवई अंतर्गत थाना पवई परिक्षेत्र में अभियोक्त्री को स्टोर के अंदर बंद करके उसे निश्चित परिसीमा से बाहर निकलने से निवारित कर, सदोष परिरोध कारित किया एवं अभियोक्त्री से उसकी इच्छा एवं सम्मति के बिना मैथुन कर, बलात्संभोग किया। अतः अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे धारा 127(2), 64 भा.न्या.सं. के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में सफल रही है। अतः आरोपी को उक्त धाराओं के आरोप में

दोषसिद्ध किया जाता है।

52. उपर के विवेचन में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, लेकिन उपरोक्त तथ्य की जानकारी आरोपी को नहीं थी। अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपर यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि आरोपी जो कि अपना सरनेम महतो लिखता है, वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है।

53. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा–3(1)(w)(i) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह उक्त वर्ग से संबंधित है, तो उपरोक्त कृत्य इस धारा के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। वर्तमान अपराध में इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी को इस संबंध में जानकारी थी कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति की सदस्य है तथा उसे उक्त जनजाति का सदस्य होना जानते हुए उक्त अपराध कारित किया है बल्कि अभियोक्त्री ने यह तक स्वीकार किया है कि आरोपी किस वर्ग के अंतर्गत आता है, उसे जानकारी नहीं है। अतः ऐंसी अवस्था में आरोपी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा–3(1)(w)(i) के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः आरोपी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा–3(1)(w)(i) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

54. अधिनियम की धारा–3(2)(v) में यह प्रावधान है कि जो कोई किसी ऐंसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, जानते हुए ऐंसा अपराध कारित करेगा, जो भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है, तो ऐंसा व्यक्ति आजीवन कारावास तथा जुर्माने

के दण्ड से दण्डनीय होगा। वर्तमान प्रकरण में इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ने यह जानते हुए कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके साथ बलात्संग का अपराध किया है। अतः ऐंसी अवस्था में आरोपी को अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा–3(2)(v) के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः आरोपी को उक्त धारा के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

55. निर्णय सजा के बिन्दु पर आरोपी एवं उसके अधिवक्ता को सुने जाने के लिए स्थगित किया जाता है।

PRADEEP KUSHWAH Digitally signed by PRADEEP KUSHWAH Date: 2026.07.16 18:34:18 +0530

(प्रदीप कुशवाह)

विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पन्ना, म0प्र0

पुनश्च :–

//दण्डादेश//

56. सजा के बिन्दु पर आरोपी, जो कि उपजेल पन्ना से व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित है। तथा उसके अधिवक्ता को सुना गया। आरोपी अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी आदतन अपराध नहीं है तथा उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, अतः आरोपी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। अभियोजन के द्वारा अनुरोध किया गया है कि आरोपी के प्रति किसी प्रकार का उदार दृष्टिकोण न अपनाया जाए।

57. अतः आरोपी के कृत्य, अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी **राजगीर उर्फ राजू महतो** को निम्नानुसार दंडित किया जाता है :–

01. धारा–127(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप में **तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500/– रूपये** के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड की राशि अदा न करने की दशा में आरोपी को 30 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

02. धारा–64(1) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप में **10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/– रूपये** के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड की राशि अदा न करने की दशा में आरोपी को 30 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

03. आरोपी को मूल अपराधों की सजाएं साथ–साथ भुगतायी जावेंगी। अर्थदंड के एवज में भुगतायी जाने वाली सजा अतिरिक्त होकर एक के पश्चात् एक चलेंगीं। आरोपी के द्वारा विचारण के दौरान निरोध में गुजारी गयी अवधि मूल सजा से मुजरा की जावे।

58. आरोपी का सजा वारंट तैयार कर धारा 468 भा.ना.सु.सं. के प्रमाण पत्र सहित निर्णयानुसार सजा भुगताये जाने हेतु जेल पन्ना भेजा जावे। प्रकरण में जब्तशुदा मुददेमाल मूल्यहीन होने उसे अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

59. निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(प्रदीप कुशवाह)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट, पन्ना (म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रदीप कुशवाह)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट, पन्ना (म0प्र0)

PRADEEP KUSHWAH

Digitally signed by PRADEEP KUSHWAH
Date: 2026.07.16 18:34:23 +0530